भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा.सं.सीएस-7(1)/2009-पार्ट-VII

दिनांक : 17.11.15

वर्ष 2015 का नौमनि आदेश संख्या-05

विषय : समुद्री वाणिज्य विभाग(सवावि) और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन संबंधी-के संबंध में.

1. जबकि, यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन, 1958 (इसके बाद से अधिनियम कहा गया है) के भाग XV-A में भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था दी गई है;

2. जबकि, अधिनियम की धारा 435-B के अनुसार ऐसी मातिस्यकी नौकाओं के पंजीयन का पत्तन ऐसे पत्तन या भारत के ऐसे स्थान होंगे जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पंजीयन का पत्तन या स्थान घोषित किया होगा;

3. जबकि, अधिनियम की धारा 435-E के अनुसार सरकारी राजपत्र के अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार एक अधिकारी को प्रत्येक पत्तन या पूर्वोक्त धारा 435-D की उप धारा (1) के अंतर्गत पत्तन या पंजीयन के पत्तन के रूप में घोषित भारतीय मातिस्यकी नौकाओं के रूप में नियुक्त करेगी (इसके बाद इसे पंजीकार कहा गया है);

4. जबकि, वर्ष 2013 में पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 02.07.13 को एक अधिसूचना सा.का.नि.-449-(E) जारी की है जिसके माध्यम से पंजीयन के पत्तन और भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के लिए वहां के पंजीकारों को अधिसूचित किया गया है. इस अधिसूचना में 20 मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं से अपेक्षा है कि संबंधित समुद्री वाणिज्य विभागों (सवावि) में इसका पंजीयन कराया जाए;

--2

5. जबकि, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सा.का.नि. 594-(E) दिनांक 14.08.14 के माध्यम से अधिनियम के भाग XV-A (मात्स्यिकी नौकाओं) पर प्रयोजनीय के ऊपर (यानि सर्वेक्षकों की नियुक्ति करने की शक्ति) धारा 9 की उपधारा (1) के प्रावधान किए गए है;

6. जबकि पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने यहां के पूर्व के परिच्छेद में यहां दी गई उपर्युक्त पहले वाली अधिसूचना यानि सा.का.नि. 449-(E) दिनांक 02.07.13 को अपनी अधिसूचना सा.का.नि. -595-(E) दिनांक 14.08.14 के माध्यम से अधिक्रमित कर दियागया है और इस अधिसूचना में निम्नोक्त निदेश दिए गए हैं;

6.1 कि उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(1) के अंतर्गत शक्ति, प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकेगा जिसका प्रयोग संबंधित राज्यों के मात्स्यिकी विभागों के प्रभारी संबंधित सचिव या संबंधित संघ/ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासकों द्वारा, अधिनियम के भाग XV-A के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से कर सकेंगे;

6.2 भारतीय मात्स्यिकी उद्योग की सुविधा के लिए भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं हेतु पंजीयन के पत्तनों और वहां के पंजीकारों को भी अधिसूचित किया गया है;

6.3 20 मी. और इससे अधिक लंबी भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं को पंजीकृत करने की आवश्यता समुद्री वाणिज्य विभागों को नहीं हैं;

7. जबकि, लंबाई को दृष्टिगत रखे बिना सभी भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं से संबंधित पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन का कार्य अब संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा उपर्युक्त दो अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा. ये दो अधिसूचनाएं हैं साकानि 594-(E) एवं 595-(E) दिनांक 14.08.14.

8. जबकि, संबंधित राज्य/ सघ राज्य क्षेत्र इस बात हेतु कुछ और समय ले सकते हैं कि वे प्रभावी रूप से भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन से संबंधित कार्य करें, संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को वर्तमान पंजीयन से उनके गत पंजीकरण प्रलेखों को अंतरित करे, साथ ही भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण सर्वेक्षण और प्रमाणन से संबंधित कार्यों को करने के लिए सर्वेक्षकों को नियुक्त करे;

--3

9. इसीलिए अब राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत संबंधित नए पंजीकारों को वर्तमान पंजीकारों से पंजीयन का परिवर्तन करवाने में भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौका स्वामियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य/ संघ राज्य प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र की प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारण अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएं हैं कि वे पूर्वोक्त कार्यों को कर सकें, एतद्द्वारा ये कार्यालय अपने पूर्व के नौमनि आदेश सं. 1/2015 (फा.सं.सीएस-7-(1)/2009-पार्ट-VI दिनांक 13.04.15 की वैधता को 31.03.16 तक बढ़ाता हैं. इस विषयवस्तु पर समुद्री मात्स्यिकी पर अंतर मंत्रालयी शक्ति संपन्न समिति की 23वीं बैठक में बातचीत की जा चुकी है;

10. तदनुसार, संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले समुद्रीय वाणिज्य विभागों के सर्वेक्षक 31.03.16 तक भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन के उत्तरदायित्वों का वहन करते रहेंगे तथापि, जो 9 समुद्रीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकार इस कार्य को करने के लिए तैयार है ने यहां पूर्वोक्त परिच्छेद संख्या 7 में लिखत भारत सरकार के अधिसूचनाओं के अनुसार कार्य करने से रोके नहीं गए हैं.

11. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

(दीपक शेट्टी)
नौवहन महानिदेशक एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार.